IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
केन्द्रीय लेखानुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र सं0–3362 /के0ले0 अनु0/2013–14/ दिनांक– 13/12/13

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के वित्त विधेयक–1994 के अन्तर्गत सेवाकर अधिनियम–1994 की धारा 66ई (बी) एवं (एच) से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्मित/निर्माणाधीन सम्पत्तियाँ सेवाकर की देयता से अच्छादित हो गयी है। उक्तानुसार मुख्य रूप से आवासीय/व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं विक्रय की सेवाओं पर सेवाकर देय होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन के आधार पर परिषद की अन्य सेवाओं पर भी नियमानुसार सेवाकर लागू होगे। तद्क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे है।

1. दिनांक 01.07.2008 से 31.12.2012 तक अवशेष सेवाकर का भुगतान मुख्यालय स्तर पर करते हुए दिनांक 31.12.2012 तक लागू VCES का लाभ प्राप्त किया जाय।

2. दिनांक 01.01.2013 से आगामी अवधि हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों के लिये स्थानीय स्तर पर सेवाकर का पंजीकरण कराते हुए नियमित सेवाकर भुगतान एवं रिर्टन दाखिल किये जायेंगे।

3. खण्ड कार्यालयों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान की गई सेवाकर की राशि का विवरण(ठेकेदार बार सेवाकर पंजीकरण संख्या सहित) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ताकि सेवाकर के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये सेवाकर का समायोजन अर्थात CENVAT Credit प्राप्त हो सके।

4. उक्त के अतिरिक्त आवासीय/व्यवसायिक कॉम्पलेक्स की बिक्री हेतु पंजीकरण पुस्तिका, आवंटन पत्र/मॉग पत्र में लागत मूल्य पर लागू सेवाकर अलग से आवंटियों द्वारा भुगतान करने हेतु प्राविधान का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। उक्तानुसार आवंटी से सेवाकर अलग से वसूली का मूल्यांकन में उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय।

सेवाकर के प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(एम0के0एस0 सुन्दरम्)
आवास आयुक्त

पत्रांक– / सेवाकर / दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर आवास आयुक्त(सम्पत्ति) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता(प्रोजेक्ट) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. समस्त उप आवास आयुक्त/सहा0 आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता/उप निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8. सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय, लखनऊ।
9. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

(रंजन मिश्र)
वित्त नियंत्रक